

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

सं. एफ.6(179)/परि/टैक्स/एच.क्यू/95/1 के

जयपुर, दिनांक :28.09.2004

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.6(179)परि/टैक्स/एच.क्यू./95/1जे, दिनांक 30.10.2002 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

सारणी की क्र. सं. 1 में,-

- (1) खण्ड (क) के विद्यमान उप-खण्ड (ii) और (iii) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-
- | | |
|---|-----------------------|
| “(ii) ऐसे अन्य यान जिनकी सीट क्षमता ड्राइवर सहित 5 तक है | यान की लागत का 3.0 : |
| (ii) अन्य यान जिनकी सीट क्षमता ड्राइवर सहित 5 से अधिक और 13 तक है | यान की लागत का 5.0:।” |
- (2) खण्ड (ख) के विद्यमान उप-खण्ड (ii) और (iii) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-
- | | |
|---|-----------------------|
| “(ii) ऐसे अन्य यान जिनकी सीट क्षमता ड्राइवर सहित 5 तक है | यान की लागत का 6.0 : |
| (ii) अन्य यान जिनकी सीट क्षमता ड्राइवर सहित 5 से अधिक और 13 तक है | यान की लागत का 7.0:।” |

राज्यपाल के आदेश से,

(जी.एल.गुप्ता)
शासन उप सचिव